(5)

संख्या 60 /11–XIX–2/01 खाद्य/2010

प्रेषक,

डॉ0 दिलबाग सिंह
संचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2011

विषयः–गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को गेहूँ रू0 2.00 प्रति किलोग्राम की दर तथा चावल रू0 3.00 प्रति किलोग्राम की दर से तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले एपीएल परिवारों को गेहूँ रू0 2.60 प्रति किलोग्राम तथा चावल रू0 2.45 प्रति किलोग्राम की छूट पर प्रति राशनकार्ड/प्रति परिवार के आधार पर उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09.11.2010 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय घोषणा अनुभाग के क्रमशः पत्र संख्या 1436/XXXV–4–205/2010 घो0/2010 दिनांक 10.11.2010 तथा घोषणा पत्र संख्या 1437/XXXV–4–206/2010 घो0/2010 दिनांक 10.11.2010 की घोषणा संख्या 205/2010 तथा घोषणा संख्या 206/2010 के तारतम्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को वर्तमान दर गेहूँ रू0 4.65 प्रति किलोग्राम के स्थान पर गेहूँ रू0 2.00 प्रति किलोग्राम तथा चावल रू0 6.15 प्रति किलोग्राम के स्थान पर रू0 3.00 प्रति किलोग्राम की दर से तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले एपीएल परिवारों के लिए गेहूँ रू0 6.60 प्रति किलोग्राम के स्थान पर गेहूँ रू0 4.00 प्रति किलोग्राम तथा चावल रू0 8.45 प्रति किलोग्राम के स्थान पर चावल रू0 6.00 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशनकार्ड/प्रति परिवार के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त आदेश दिनांक 01.02.2011 से प्रभावी समझे जायेंगे। इस मद में होने वाला समस्त यभार, जिसमें परिवहन/ढुलान इत्यादि की दरें भी सम्मिलित होंगी। अतः चालू वित्तीय वर्ष 10-2011 के आय-व्ययक के सुसंगत मदों के अधीन वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा पत्रावली पर दिनांक 19.11.2010 पर अंकित सहमति के धार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 दिलबाग सिंह)
सचिव।

ख्या /11-XIX-2/01 खाद्य/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 26.11.2010 के क्रम में सूचनार्थ।
स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
प्रमुख सचिव ,वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
महालेखाकार, ऑबराय भवन, उत्तराखण्ड।
मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय घोषणा अनुभाग-4 को उनके पत्र क्रमशः घोषणा संख्या 205 एवं 206 दिनांक 10.11.2010 के आलोक में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित घोषणाओं को पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप कार्यालय अभिलेखों में अंकित करने का कष्ट करें।
महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
8. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
9. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त आदेशों की प्रति इस निर्देशों के साथ प्रेषित कि वे इस मद में होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुमानों में तदनुसार व्ययवस्था सुनिश्चित करें।
10- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी उत्तराखण्ड।
11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(यू0सी0 कबडवाल)
अपर सचिव।